न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी: बीना महावर, आर0ए0एस0)

अपील संख्या 25/2017

मुकेश कटारा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राहमण निवासी रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 17.02.2017 तहसीलदार रूपवास। पत्रावली संख्या 08/2017 उनवानी रिपोर्ट पटवारी बनाम मुकेश कटारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थित :– 1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता, अभिभाषक अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः 17.02.2021

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व रैस्पोडेन्ट व खिलाफ आदेश तहसीलदार रूपवास दिनांक 17.02.2017 पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 243/47 रकवा 7 बीघा 3 विस्वा किस्म गैरमुमकिन खान पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये बेदखल कर पैनल्टी की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। मूल तहत पत्रावली शामिल मिसिल है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओ पर गौर नहीं किया है। माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर ने प्रकरण संख्या 92/1992 उनवानी मुकेश कटारा बनाम तहसीलदार रूपवास में दिनांक 16.11.1992 को निर्णय पारित कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु तहसीलदार रूपवास को रिमान्ड किया गया। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्त न्यायालय को अपीलाधीन आदेश पारित नहीं करना था बल्कि न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के आदेश दिनांक 16.11.1992 की पालना में पुराने कब्जे के सम्बन्ध में जांच की जाकर जांच उपरान्त पुराना कब्जा पाये जाने पर नियमन की कार्यवाही की जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है। उन्होने यह भी जाहिर किया कि अपीलान्ट को अपीलाधीन के आदेश के संबंध में दिनांक 06.04.2017 को पटवारी हल्का से जानकारी हुई। जानकारी होते ही दिनांक 07.04.2017 को तहसील से नकल प्राप्त कर अपील अन्दर म्याद पेश की गई है। देरी को माफ करने के लिये दफा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया है। अन्त में वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने की प्रार्थना की है।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार रूपवास के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2017 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि पत्रावली में उपलब्ध माननीय न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर भरतुपर के द्वारा प्रकरण संख्या 92/1992 उनवानी मुकेश कुमार कटारा बनाम तहसीलदार रूपवास में दिनांक 16.11.1192 को निर्णय पारित किया जिसके जो निम्नानुसार है:—

"अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है और आज्ञा तहसीलदार रूपवास दिनांक 25.09.1992 निरस्त की जाती है तथा मामला तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। वह विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पुराने कब्जे के बारे में सुनवाई कर एवं सबूत लेकर विधिवत जांच करे और यदि पुराना कब्जा साबित हो और अपीलान्ट नियमन कराने का अधिकारी पाया जाये जो कार्यवाही करे अन्यथा विधिवत उचित निर्णय पारित करें।"

माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के उक्त निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभी तक इस निर्णय की पालना में कोई विधिवत आदेश पारित नहीं करके अपीलाधीन आदेश पारित किया जो कानून के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है किः—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रूपवास को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 16.11.1992 के परिप्रेक्ष्य में विधिवत अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हेये पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार रूपवास की पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को सुनाया गया।

(बीना महावर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)